राजस्थान सरकार
आयुक्तालय महिला अधिकारिता

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह विकसित करने की योजना

महिला स्वयं सहायता समूह कार्यकम के राज्य में उत्तरोत्तर बढ़ते आकार के मददेनजर प्रत्येक जिले से कुछ समूहों को आदर्श SHG के रूप में विकसित किया जाना है। ये आदर्श समूह SHG कार्यकम संचालन के लिए निर्धारित सभी प्रकिया एवं मानदण्डों को पूरा करते हुए क्षेत्र में संचालित अन्य समूहों के लिए एक आदर्श प्रतीक एवं प्रेरणा का कार्य करेगे एवं इन्हें देख कर अन्य समूह भी अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकेगे। इस संदर्भ में राज्य के प्रत्येक जिले से दस स्वयं सहायता समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूहों के रूप में विकसित किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले पर चिन्हित 100 स्वयं सहायता समूहों को प्रिर्यदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह तक ले जाकर उन समूहों द्वारा अन्य समूहों के लिए एक आदर्श प्रतीक एवं प्रेरणा का कार्य करना स्वयं सेवी संगठन/महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कियान्वित की जायेगी।

कार्यान्वयन संस्था की पात्रता

1. गत तीन वर्ष से लगातार कार्य का अनुभव।
2. स्वंय सहायता समूह कार्यकम एव माइकोफांइनेस का अनुभव
3. क्षमता वर्धन, कौशल उन्नयन एवं उद्यम विकास प्रशिक्षण का अनुभव
4. उत्पादन निर्माण एवं विपणन आदि क्षेत्रों में कार्य करने का लम्बा अनुभव हो।
5. पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम रू 15 लाख का टर्न ओवर

चिन्हित समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह घोषित किये जाने संबंधी सूचक (आउटकम)–

उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले में चिन्हित 10 SHGs को चयनित NGO के माध्यम से निम्न सूचकों को प्राप्त करने की स्थिति में ही उस समूह को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह घोषित किया जाएगा एवं तदनुसार ही NGO को भुगतान किया जाएगा–

1 समूह की नियमित मासिक बैठक होने लगी है।
2 समूह बैठक में बचत–ऋण के साथ–साथ सामाजित मुददों पर भी चर्चा होने लगी है।
3 समूह का नियमित रिकार्ड संधारण हो रहा है।
4 समूह द्वारा नियमित रूप से बचत की जा रही है।
5 समूह द्वारा नियमित रूप से आंतरिक लेन–देन किया जा रहा है।
6 समूह द्वारा अपने ऋण का निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत पुर्नभुगतान कर दिया गया है।
7 समूह स्थायी रूप से आयजनक गतिविधियों में संलग्न हो गया है।
8 समूह के प्रत्येक सदस्य की आय कम से कम 1100 रू/– प्रतिमाह होने लगी है।

भुगतान प्रकिया

स्वंयसेवी संगठनो को उनके उक्त कार्य के लिए प्रति प्रियदर्शिनी आदर्श SHG के रूप में निम्न भुगतान किया जाएगा–

गतिविधि		राशि
1 प्रबंधकीय क्षमता एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण	–	4000
2 उद्यमिता विकास एव गुणवत्ता उन्नयन प्रशिक्षण (10 दिवसीय अथवा आवश्यकतानुसार)	–	28000
3 मार्केट लिंकेज	–	3000
कुल राशि	–	**35000 प्रति प्रियदर्शिनी आदर्श SHG**
कुल राशि प्रति जिला (35000 x 10)	–	350000 रू

स्वंयसेवी संगठनो को उनके कार्य का भुगतान निम्न चरणों में किया जाएगा–

- अनुबंध राशि का 10% कार्य आरंभ करने पर
- अनुबंध राशि का 30% समूह को आमुखीकरण एवं प्रबंधकीय क्षमता प्रशिक्षण करवाने पर
- अनुबंध राशि का 30% आयजनक प्रशिक्षण करवाने पर
- अनुबंध राशि का 30% समूह को स्थायी स्वरोजगार से जुडकर समूह के कम से कम 60% सदस्यों द्वारा न्यूनतम 1100 रू प्रतिमाह आय अर्जन कराने की स्थिति तक लाने एवं क्लस्टर विकसित करने पर

1 संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्य का समय–समय पर निदेशालय के अधिकारियो एवं निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। कार्य संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रकिया अनुसार संपन्न होने के प्रमाणन के बाद ही निदेशालय द्वारा संस्था को भुगतान किया जावेगा।

2 समूह प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित हो गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपनिदेशक द्वारा दिया जाएगा।

आवेदन करने की पद्वति

1 निदेशालय द्वारा संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कद दी गई है। संस्था द्वारा जिस जिले में प्रशिक्षण प्रस्तावित है, उस जिले के उपनिदेशक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कराने होंगे।

2 जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी/समिति की अभिशंषा करवाकर आवेदन पत्र निदेशालय भिजवाने होंगे। कमेटी के सदस्य सचिव संबंधित उपनिदेशक होंगे।

3 विभागीय सशक्तिकरण समिति (Empowerment Committee) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय किया जाएगा।

4 चयनित संस्थाओं को निदेशालय द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। जहां उन्हें अपनी संस्थाओं के कार्यकलाप, अन्य विवरण, प्रस्तावित गतिविधि विवरण संबंधित पावर पाइंट प्रजेंटेशन देना होगा। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संस्थाओं की गतिविधियों से संतुष्ट होने पर ही संस्था का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा।

5 प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी संस्था की विजिट कर कार्यकलापों से संतुष्ट होने पर कार्य दिया जाएगा।

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना हेतु आवेदन पत्र

1 संस्था का नाम _____

2 डाक का पूरा पता _____

_____

3 दूरभाष/फैक्स नम्बर/ई–मेल _____

4 संस्था का वर्तमान कार्य क्षेत्र

5 संस्था जिस जिले में कार्य करना चाहती है, का नाम _____

6 संस्था के पदाधिकारियों के नाम _____

7 संस्था का पंजीयन कमांक व तारीख _____

8 संस्था के उद्देश्य (संलग्न करें) _____

9 खातों के लेखा परीक्षित विवरण (गत तीन वर्ष का संलग्न करें) _____

_____

10 संस्था का कार्य अनुभव (स्वयं सहायता समूह कार्यकम, माइकोफाइनेंस क्षेत्र, समूहों के क्षमता वर्द्धन प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन संबंधी कार्य का पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता तथा अन्य संबंधित दस्तावेज)

_____

_____

10 अभ्युक्ति (क्या संस्था पहले से राज्य सरकार अथवा अन्य योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त कर रही है। यदि हां तो विवरण दे)

_____

_____

11 अन्य विवरण _____

संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम .....

पद.....

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहातया समूह विकसित करने की योजना संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व संस्था के मूल्यांकन हेतु उपनिदेशक द्वारा भरा जाने वाला ..प्रपत्र

1. निरीक्षण अधिकारी का नाम, पदनाम
2. निरीक्षण की तारीख तथा समय
3. संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता
4. संस्था का कार्यक्षेत्र
5. संस्था जिस जिले में कार्य करना चाहती है, का नाम
6. संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1880 अथवा इसके समकक्ष अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है अथवा नही। यदि है तो रजिस्ट्रेशन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का होना चाहिए।
7. क्या संस्था के पास आवेदन पत्र में वर्णित स्टाफ/ प्रशिक्षण संबंधी संसाधन उपलब्ध है?
8. संस्था द्वारा प्रस्तुत लेखा–परीक्षित लेखे संस्था के मूल दस्तावेजों के अनुरूप सही हैं अथवा नहीं?
9. संस्था द्वारा चलाये गये उन कार्य कलापों का उल्लेख करें, जिनके प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं।
10. आपके विचार में क्या संस्था प्रस्तावित योजना चलाने में सक्षम है? टिप्पणी देवें।
11. संस्था के संबंध में अन्य कोई विशेष जानकारी।

12 संस्था के पास अपना स्वयं का कार्यालय है अथवा किराये का, उल्लेख करें।

13 क्या संस्था चिन्हित समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहातया समूह घोषित किये जाने संबंधी सूचकों तक ले जाने में सक्षम है।

14 संस्था द्वारा किये जा रहे विशिष्ट कार्यो का विवरण।

15 **संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे में समग्र मूल्यांकन एवं स्पष्ट सिफारिश/टिप्पणी**

हस्ताक्षर जांच अधिकारी
मय पद

राजस्थान सरकार
महिला एंव बाल विकास विभाग

चैक लिस्ट

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहातया समूह योजनान्तर्गत प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने से पूर्व उपनिदेशक द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर संबंधित दस्तावेज संलग्न करे–

1. जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति की अभिशंषा/टिप्पणी
2. उपनिदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट
3. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति (कम से कम तीन वर्ष पूर्व का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए)
4. संस्था का विधान/नियमावली की फोटोप्रति
5. संस्था की गत तीन वर्षो की सी.ए.आडिट रिपोर्ट (आय व्यय प्रदत भुगतान एवं बैलेंस सीट)
6. प्रस्तावित प्रशिक्षण का पाठ्यकम
7. संस्था की गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट
8. प्रशिक्षकों के बायोड़ाटा एवं प्रमाण–पत्र
9. संस्था का स्वयं का भवन होने पर साक्ष्य संलग्न करे
10. संस्था का भवन किराये पर होने की स्थिति में किराया नामा/बिजली का बिल
11. प्रशिक्षित महिलाओं को न्यूनतम 1100 रू प्रति माह आयअर्जन तक ले जाने में संस्था की सक्षमता का प्रमाण–पत्र
12. संस्था के स्वयं सहायता समूह कार्यकम, माइकोफाइनेंस क्षेत्र, समूहों के क्षमता वर्द्धन प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन संबंधी कार्य का पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता तथा अन्य संबंधित दस्तावेज
13. संस्था से प्राप्त प्रस्ताव दो प्रतियों में होना चाहिए, जिनमें से एक प्रति निदेशालय को मय प्रमाणपत्रों/आवश्यक साक्ष्यों सहित भिवजाई जाए एवं एक प्रति उपनिदेशक कार्यालय में रखी जाए